

**RASHTRIYA ISPAT NIGAM LIMITED
VISAKHAPATNAM STEEL PLANT
VISAKHAPATNAM – 530031**

HR DEPARTMENT – RULES & POLICIES SECTION

Ref.No.:HR/RR/8(11)/edak:107

Dt. 28.03.2019

HR POLICY CIRCULAR No. 05 /19

Sub: RINL EMPLOYEES PENSION (DEFINED CONTRIBUTION) SCHEME

Ministry of Steel, vide its letter No.22(25)2015-HR(PSU) dt. 11.2.2019, has conveyed its approval for introduction of the Pension scheme in RINL subject to compliance of stipulated conditions.

2. Pursuant to the above, it has been decided to introduce RINL Employees Pension (Defined Contribution) Scheme (REPS) w.e.f. 1.1.2007 and 1.1.2012 for Executives and Non-Executives respectively.
3. The REPS is a defined contribution scheme which, inter-alia, provides for contribution by the Employer (RINL) and voluntary contribution by the employees. Pension will be payable to the employees on their separation in terms of the scheme.
4. The monthly pension contribution by RINL shall be @3% and @2% of Basic + DA for Executives and Non-Executives respectively for the FY 2018-19 and shall commence w.e.f. April 2019. This contribution is on ad-hoc basis, which shall be adjusted after finalization of the Accounts of the FY 2018-19.
5. Pension contribution for the period from 1.1.2007 and 1.1.2012 for Executives and Non-Executives respectively till 31.3.2018, will be made subsequently.
6. Consequent to the commencement of the pension contribution w.e.f. April 2019, the Performance Linked Benefit Scheme (PLBS) for Executives shall be discontinued. A separate decision will be taken in respect of PLBS for Non-Executives.
7. The existing RINL Superannuation Benefit Fund Trust shall function as the Trust for the RINL Employees Pension (Defined Contribution) Scheme. Consequently, pension contribution will be deposited in the RINL Superannuation Benefit Fund Trust.
8. The employee contribution @2% of salary being now made under ESBF shall continue and shall be treated as the employee contribution under the RINL Employees Pension (Defined Contribution) Scheme.
9. The detailed RINL Employees Pension (Defined Contribution) Scheme shall be notified separately. Final settlement in respect of the separating employees shall be made by the RINL Superannuation Benefit Fund Trust by way of Annuity Purchase in accordance with the RINL Employees Pension (Defined Contribution) Scheme, post its notification.
10. This issues with the approval of the Competent Authority.


(Debasish Ray)
ED(P&IR)/c

Distribution:
Standard.

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र
विशाखपट्टणम - 530031

मानव संसाधन विभाग - नियम व नीति अनुभाग

सं.मा.सं./नि.वि./8(11)/ईडॉक:107

दि.28.03.2019

मानव संसाधन नीति परिपत्र सं.05 /19

विषय: आर आई एन एल कर्मचारी पेंशन (परिभाषित अंशदान) योजना।

इस्पात मंत्रालय ने पत्र सं.22(25)2015-एच आर (पी एस यू), दि.11.2.2019 द्वारा आर आई एन एल में निर्धारित शर्तों के अनुपालन के आधार पर पेंशन योजना शुरू करने हेतु अपना अनुमोदन सूचित किया है।

- उपरोक्त के अनुसरण में, यह निर्णय लिया गया है कि आर आई एन एल के कार्यपालकों एवं गैर-कार्यपालकों के लिए क्रमशः 01.01.2007 एवं 01.01.2012 से आर आई एन एल कर्मचारी पेंशन (परिभाषित अंशदान) योजना (आर ई पी एस) लागू की जाय।
- आर ई पी एस परिभाषित अंशदान योजना है, जो नियोक्ता (आर आई एन एल) द्वारा अंशदान एवं कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक अंशदान की सुविधा प्रदान करती है। योजना के अनुसार कंपनी के कार्य से सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान किया जाएगा।
- आर आई एन एल द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 से कार्यपालकों एवं गैर-कार्यपालकों को मासिक पेंशन अंशदान क्रमशः मूलवेतन + महंगाई भत्ता का 3% व 2% होगा और यह योजना अप्रैल, 2019 से शुरू होगी। यह अंशदान तदर्थ आधार पर होगा, जिसे वित्त वर्ष 2018-19 के लेखाओं को अंतिम रूप देने के बाद समायोजित किया जाएगा।
- तदुपरांत कार्यपालकों एवं गैर-कार्यपालकों को क्रमशः 01.01.2007 एवं 01.01.2012 से 31.03.2018 तक पेंशन अंशदान का भुगतान किया जाएगा।
- अप्रैल, 2019 से पेंशन अंशदान के लागू होने के परिणामस्वरूप, कार्यपालकों के लिए निष्पादन आधारित लाभ योजना (पी एल बी एस) बंद हो जाएगी। गैर-कार्यपालकों के लिए पी एल बी एस के संबंध में अलग से निर्णय लिया जाएगा।
- मौजूदा आर आई एन एल सेवानिवृत्ति लाभ योजना न्यास, आर आई एन एल कर्मचारी पेंशन (परिभाषित अंशदान) योजना के न्यास के रूप में कार्य करेगा। परिणामस्वरूप, पेंशन संबंधी अंशदान आर आई एन एल सेवानिवृत्ति लाभ निधि न्यास के खाते में जमा किया जाएगा।
- ई एस बी एफ के अधीन वेतन के 2% के दर पर किया जा रहा कर्मचारी अंशदान जारी रहेगा और उसे आर आई एन एल पेंशन (परिभाषित अंशदान) योजना के अधीन कर्मचारी का अंशदान माना जाएगा।
- आर आई एन एल कर्मचारी पेंशन (परिभाषित अंशदान) योजना का विस्तृत विवरण अलग से अधिसूचित किया जाएगा। कंपनी से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में देयों का अंतिम निपटान आर आई एन एल सेवानिवृत्ति लाभ निधि न्यास द्वारा आर आई एन एल कर्मचारी पेंशन (परिभाषित अंशदान) योजना के अनुसार उसके अधिसूचित होने के पश्चात वार्षिकी अंशदान के रूप में किया जाएगा।
- यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(देबाशीष रे)

कार्यपालक निदेशक (कार्मिक व औद्योगिक संबंध) प्रभारी

वितरण:
मानक